न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 109/2015 **दायरा दिनांक : 18.09.2015**

उनवान

रामस्वरूप आत्मज भंवरलाल जाति मीणा निवासी अलोदी तहसील खानपुर जिला झालावाड राज0

.... अपीलांट

बनाम

1– अनिल कुमार उर्फ संजय कुमार पुत्र सियाराम जाति मीणा निवासी अलोदी तहसील खानपुर जिला झालावाड राज0

2– विजय प्रकाश पुत्र सियाराम जाति मीणा निवासी अलोदी तहसील खानपुर जिला झालावाड राज0

3– चेतन पुत्र सियाराम जाति मीणा निवासी अलोदी तहसील खानपुर जिला झालावाड राज0

4–अनिता बाई पुत्री सियाराम जाति मीणा निवासी अलोदी तहसील खानपुर जिला झालावाड राज0

5– चन्द्र प्रकाश पुत्र द्वारका लाल जाति मीणा निवासी अलोदी तहसील खानपुर जिला झालावाड राज0

6– प्रमोद कुमार पुत्र द्वारका लाल जाति मीणा निवासी अलोदी तहसील खानपुर जिला झालावाड राज0

7– राजेन्द्र कुमार पुत्र द्वारका लाल जाति मीणा निवासी अलोदी तहसील खानपुर जिला झालावाड राज0

8— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील खानपुर जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री प्रहलाद मीना अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 02.01.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या — 472/दावा/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 4 ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम अलोदी तहसील खानपुर में खाता संख्या नया 27 पुराना 27 की आराजी खसरा नं. 98 की 35 बीघा 5 बिस्वा स्थित है और शामलाती खाते में ग्राम आलोदा की खाता संख्या नया 65 पुरानी 64 की खसरा नं. 25 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं. 26 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 42 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं. 75 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 79 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 99 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं. 101 रकबा 2 बीघा, खसरा नं. 108 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 110 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं. 137 रकबा 34 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 151 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा कुल 11 किता की 51 बीघा 10 बिस्वा आराजी स्थित है। ग्राम आलोदी की आराजी में वादीगण का 1/4 हिस्सा और ग्राम आलोदा की आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज है। वादीगण अपना हिस्सा पृथक दर्ज कराना चाहते है। अतः दावा वादीगण स्वीकार वादग्रस्त आराजी का विभाजन किया जाये। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12—06—2015 को

अपीलाधीन निर्णय पारित कर दावा वादीगण स्वीकार किया है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की है।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट प्रतिवादी ने जवाब दावा पेश कर यह कथन किया था कि 25 वर्ष पूर्व विभाजन हो चुका था और पक्षकारान इसी अनुसार काबिज है। उसी के आधार पर राजस्व रिकार्ड में विभाजन किया जाये। पत्रावली कैम्प कोर्ट गाडरवाडानूरजी में पेश हुई थी, कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसके बावजूद खसरा नं. 98 की 35 बीघा 5 बिस्वा आराजी के विभाजन की डिक्री पारित की है। पक्षकारों के मध्य पूर्व में विभाजन हो चुका है। अपीलांट को कोर्ट कैम्प में वाद रखे जाने की जानकारी नहीं थी। सिर्फ एक खाते के विभाजन के आदेश पारित किये गये है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 25–08–2015 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलंब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एकतरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि शामलाती खाते की आराजी 2 ग्रामों में स्थित है। प्रारंभिक डिक्री पक्षकारों की अनुपस्थिति में एक ग्राम के लिए जारी की गई है। सीपीसी की पालना नहीं की गई है। पूर्व में बंटवारा हो चुका है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया ।

न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलंब का शमन किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12–06–2015 के अनुसार लोक अदालत में पक्षकारों की अनुपस्थित में गुणावगुण के आधार पर दावा वादी डिक्री किया है। दावे में 2 ग्राम की आराजी का विवरण है, जबकि प्रारंभिक डिक्री सिर्फ आलोदी ग्राम की आराजी के लिए जारी की गई है। पत्रावली पर ग्राम आलोदा की 11 किता की 51 बीघा 10 बिस्वा आराजी की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति भी सलंग्न है, जिसमें वादग्रस्त आराजी पक्षकारों के संयुक्त खाते में दर्ज है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो। इसके अभाव में सीपीसी की पालना में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य होता है। इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.2015 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में इस दिशा निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधिसम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करे। पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19–02–2018 को उपस्थित हो।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा